


मात्र मा. ए. एम. एम. टी. एम.
मात्र मा. ए. एम. एम. टी. एम.
पेशी इतिहास का आधार पर पत्रवली
मारी 23/10/2024 को पेश की।

मात्र मा. ए. एम. एम. टी. एम.
मात्र मा. ए. एम. एम. टी. एम.
पेशी इतिहास का आधार पर पत्रवली
मारी 23/10/2024 को पेश की।

20/10/2024 पत्रवली आज पेश हुई। वकील उत्पीठिंग एवं वैरो का
सरकार उपस्थित। वकील उत्पीठिंग एवं वैरोधार सेक्टर
की बहस सुनी गयी। उदाय पत्र ब्रास एवं पत्रवली
में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अस्पष्टी निवेदन
के तिनो बिंदु उत्पीठिंग के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अठ
उत्पीठिंग का उत्पीठ-पत्र अंतर्गत द्वारा 212 रजिष्ट्र
कामकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के
कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक
10/10/2023 को जारी अस्पष्टी निवेदन का मूठ
बंद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रवली
किसत शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद
तकमित राखित स्फुट हो।



निर्णय आज दिनांक 20/10/2024 को मेरे राय
लिखा जाकर सरे-इज्जत सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)